सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008
(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की उपधारा-4(16) का प्रतिस्थापन ।

3. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा-10 की उपधारा-19 के पश्चात् उपधारा-20 की प्रविष्टि ।

4. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा-26 की उपधारा-6(ii) का प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008
(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीभूत) के संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ--

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा;
(ii) यह ऐसी तिथि से प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा नियत करेगी;
(iii) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) जो इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा की उपधारा-4(16) का प्रतिस्थान--

उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा--

''4(16) विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभागों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई एवं शोध कार्य को संचालित करना । स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई परिनियम में वर्णित प्रावधानों एवं यू०जी०सी०/ए०आई०सी०टी०ई०/केन्द्रीय संगठनों के प्रावधानों के अनुसार वैसे स्वशासी/संबद्ध महाविद्यालयों में भी की जा सकेगी जिनमें संबंधित विषयों में स्नातक स्तर तक की पढ़ाई संचालित करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो ।''

3. उक्त अधिनियम की धारा-10 की उपधारा-19 के बाद निम्नवत् उपधारा-20 प्रविष्टि माना जाएगा ।

''10(20) कुलपति को अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्य के चार वर्षों की कालावधि समाप्त होने पर स्थानान्तरण करने की शक्ति होगी, परन्तु प्रशासनिक कारणों से कुलपति स्थानानतरण का कारण अंकित करते हुए चार वर्ष की निर्धारित कालावधि से पूर्व भी उन्हें स्थानान्तरित कर सकते हैं'' ।

4. उक्त अधिनियम की धारा-26 की उपधारा-6(ii) निम्नवत् प्रतिस्थापित माना जाएगा, यथा--

''26(6)(ii) विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों में पदस्थापित विश्वविद्यालय प्राचार्यों एवं वैसे उपाचार्यों जिन्हें कि उपचार्य के रूप में अनुभव 8 वर्षों से अन्यून न हो में से चक्रानुक्रम में 2(दो) वर्षों के लिए की जाएगी ।

स्नातकोत्तर विभागों में स्थानान्तरण अकादमिक रेकर्ड/शोध कार्य एवं प्रकाशन/शिक्षण अनुभव और समग्र रूप से विषय विशेषज्ञ के रूप में ख्याति के आकलन के आधार पर होगा ।

विभागाध्यक्ष के पद पर स्थानान्तरण वरीयता एवं अकादमिक विशिष्टता के आधार पर होगा'' ।

यह विधेयक झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 40--50--24-9-2008--शनि मुण्डा ।